



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 662]

नई दिल्ली, भागलबाहर, दिसम्बर 7, 2010/अग्रहायण 16, 1932

No. 662]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 7, 2010/AGRAHAYANA 16, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 957(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 66 के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा लोकहित में करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 381(अ), तारीख 27 जून, 2006 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के क्रम सं. (14) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(15) महानिदेशक विदेश व्यापार।”

[अधिसूचना सं. 13/2010/फा. सं. पी.-12011/02/2009-ई.एस.]

एस. आर. मीणा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड(i) में सं. सा.का.नि. 381(अ), तारीख 27 जून, 2006 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संशोधन सं. सा.का.नि. 929(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 2009 और सं. सा.का.नि. 763(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2010 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2010

G.S.R. 957(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Section 66 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003) the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 381(E), dated the 27th June, 2006, namely :—

In the said notification, after serial number (14) and the entries relating thereto, the following entries shall be inserted, namely :—

“(15) Director General of Foreign Trade.”

[Notn. No. 13/2010/F. No. P-12011/02/2009-E.S.]

S. R. MEENA, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 381(E), dated the 27th June, 2006 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 929(E), dated the 29th December, 2009 and G.S.R. 763(E), dated the 15th September, 2010.